भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. **73***

दिनांक **07** फरवरी**, 2025** को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जानलेवा रोगों का शीघ्र निदान

*73. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर जैसे जानलेवा रोगों की रोकथाम और उनके उपचार के लिए उक्त रोगों के शीघ्र निदान हेतु निवारक उपायों के बारे में गांवों का दौरा करके जागरूकता पैदा करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कैंसर रोगियों के जीवन को बचाने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार हेतु कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कैंसर जैसे जानलेवा रोगों की रोकथाम और उनके शीघ्र निदान के लिए नवीनतम चिकित्सा उपचार पद्धति विकसित करने और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07.02. 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर सहित एनसीडी के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन को सुदृढ़ बनाता है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 372 जिला डे केयर सेंटर और सीएचसी में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) समुदाय-आधारित मूल्यांकन जाँच सूची (सीबीएसी) का उपयोग करके 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए जोखिम का मूल्यांकन करती हैं, और उच्च जोखिम वाले मामलों को जांच के लिए रेफर करती हैं। एनएचएम के तहत कैंसर सहित एनसीडी की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का भाग है। रोकथाम और जांच सेवाएँ आशा, सहायक नर्स और दाई (एएनएम), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलस् शामिल हैं।

आशा कार्यकर्ता सामुदायिक जागरूकता, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और समय रहते रोग की पहचान पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी)/महिला आरोग्य समिति (एमएएस), जन आरोग्य समिति (जेएएस), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और स्थानीय निकायों जैसे मंच जागरूकता प्रयासों को बढ़ाते हैं। आंगनवाड़ी योजना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण के बारे में शिक्षित किया जाता है।

जागरूकता पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, मीडिया अभियान और एनएचएम द्वारा वित्त पोषित कार्यकलाप (जिला स्तर पर 3-5 लाख रुपये और राज्य स्तर पर 50-70 लाख रुपये) शामिल हैं। एनएचएम स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, नि:शुल्क दवाएँ और निदान को प्रोत्साहित करता है।

कैंसर की आवश्यक दवाएँ जिला और उप-मंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पताल गरीबों और ज़रूरतमंदों को नि:शुल्क या रियायती दर पर एनसीडी का उपचार प्रदान करते हैं। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 200 से ज़्यादा पैकेजों के तहत कैंसर के इलाज सहित मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु 55 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर का प्रावधान किया गया है। हाल ही में मिली स्वीकृति से सभी वरिष्ठ नागरिकों (70+) के लिए पीएम-जेएवाई कवरेज का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना 14,320 जन औषधि केंद्र संचालित करती है, जो 2,047 प्रकार की दवाएँ और 300 सर्जिकल, मेडिकल

उपभोग्य वस्तुएँ और उपकरण प्रदान करती है, जिनमें से 87 उत्पाद कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। अमृत फ़ार्मेसी देश भर में 220 स्टोर के साथ रियायती दरों पर कैंसर की दवाएँ बेचती हैं।

(ग) केंद्र सरकार विशिष्ट स्तर पर कैंसर परिचर्या हेतु सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र सुविधाओं के लिए सुदृढ़ीकरण योजना लागू करती है। इस योजना के तहत, 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) को मंजूरी दी गई है, जिसमें आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, कटक और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) शामिल हैं।

सभी 22 नए एम्स में निदान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधाओं के साथ कैंसर उपचार सुविधाओं की मंजूरी दी गई है।

हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) की स्थापना की गई है। इसमें 1,460 रोगी परिचर्या बिस्तर और उन्नत निदान और उपचार सुविधाएं मौजूद हैं। कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर भी स्थापित किया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) अपने संस्थानों, विभिन्न परियोजनाओं और कैंसर कंसोर्टियम के माध्यम से पित्ताशय कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़े के कैंसर, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होने वाले कैंसर और मुख कैंसर के क्षेत्रों में अपने केन्द्र प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से कैंसर संबंधी अनुसंधान करता है।

आईसीएमआर स्तन और मुख कैंसर की जांच और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के साथ संयुक्त अनुसंधान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता (एनएचआरपी) परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। आईसीएमआर की पहलों के तहत अतिरिक्त फेलोशिप, तदर्थ और टास्क फोर्स परियोजनाएं जारी हैं।

*****